भारत सरकार

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या – 195

(जिसका उत्तर मंगलवार, 25 नवम्बर, 2014 को दिया गया)

ई-प्रपत्रों की समीक्षा

195. डा. टी. सुब्बारामी रेड्डी :

क्या **कारपोरेट कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कंपनी अधिनियम के अंतर्गत हितार्थियों के लिए प्रक्रियाओं को सरल बनाने के लिए ई-प्रपत्र तथा अन्य समग्र फाइलिंग प्रक्रिया की समीक्षा करने के लिए विभागीय समिति गठित की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) पूरी प्रक्रिया की समीक्षा करने तथा इसे अधिसूचित करने की समय-सीमा क्या है;

(घ) क्या सरकार एमसीए21 पोर्टल के द्वारा ई-प्रपत्रों को भरने में फिलहाल हितार्थियों को पेश आ रही कठिनाईयों को दूर करने का प्रयास करेगी; और

(ड.) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

कारपोरेट कार्य मंत्री (श्री अरुण जेटली)

(क) से (ड.) : जी, हां। इस मंत्रालय द्वारा हाल ही में (क) कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत अधिसूचित ई-प्ररूपों की समीक्षा करने, (ख) ऐसे प्ररूपों के सरलीकरण हेतु परिवर्तन प्रस्तावित करने तथा (ग) हितार्थियों के सामने आने वाली कठिनाइयों को दूर करने के लिए एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया है। समिति से दो महीनों के अंदर अपनी रिपोर्ट पेश करने को कहा गया है।

*****